



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 397 वर्ष 2026

श्री कृष्ण तथा 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, सतीश चन्द्र दुबे, सवन कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री सतीश चन्द्र दुबे, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, और श्री प्रशांत कुमार मिश्र, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर प्रकट होते हैं, को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि वे ट्यूब-वेल संचालक थे जो सेवा निवृत्त हुए हैं, तथापि उन्हें योग्य अवधि के आधार पर वृद्धावस्था भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है। वे दिनांक 03.12.2025 को निर्णयित रिट-ए संख्या 810 वर्ष 2024 (शिव औटर शर्मा एवं 10 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) के निर्णय पर निर्भरता रखना चाहते हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता का दावा, प्रारंभ में, तृतीय प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता, नलकूप खंड-I, प्रयागराज, द्वारा निर्णयार्थ विचार किया जाना आवश्यक है।
5. इस प्रस्तुति पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई और इसे अनुग्रहपूर्वक स्वीकार किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रतिवादी पक्षों की दलीलों और उनके रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह तृतीय प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्वयं प्रमाणीकरण प्रति सहित एक विस्तृत प्रतिनिवेदन प्रस्तुत करे। तृतीय प्रत्यर्थी को उक्त प्रतिनिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार तीन माह की अवधि में, प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से, करना होगा। यदि तृतीय प्रत्यर्थी का यह मत है कि प्रकरण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णयार्थ किया जाना चाहिए, तो अभिलेख संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित कर दिए जाएंगे।

7. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई उत्तर प्राप्त किए बिना किया गया है। अतः इस आदेश का पारित होना यह अभिप्राय नहीं माना जाएगा कि इस न्यायालय ने प्रकरण की विषयवस्तु पर कोई निर्णय लिया है।

8. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।